




The Rajasthan Finance Act, 2026

Act No. 3 of 2026

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 06, शुक्रवार, शाके 1948- मार्च 27, 2026 Chaitra 06, Friday, Saka 1948- March 27, 2026	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 25, 2026

संख्या प.2(17)विधि/2/2026.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 मार्च, 2026 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2026

(2026 का अधिनियम संख्यांक 3)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 मार्च, 2026 को प्राप्त हुई)

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950, राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 और राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतहतरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

- संक्षिप्त नाम.-** इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2026 है।
- 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.-** राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के उपबंध, उक्त अधिनियम के अधीन तुरन्त प्रभावी होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

3. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

- (i) विद्यमान खण्ड (xi) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
 “(xi) “हस्तांतरण-पत्र” से किसी भी नाम से जानी जाने वाली कोई लिखत अभिप्रेत है, जो एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति के बीच, संपत्ति के, जो चाहे जंगम, स्थावर, अमूर्त, या किसी सम्पदा, अधिकार, हक, हित या उसमें फायदाप्रद हित के अंतरण को प्रभावी या साक्ष्यित करता हो और जिसके लिए अनुसूची द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित नहीं किया गया हो, और इसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं-
 (क) कोई विक्रय हस्तांतरण-पत्र;
 (ख) कोई लिखत जिसके द्वारा अनुयोज्य दावे, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों, कारबार अधिकारों, या कोई अन्य अमूर्त अधिकारों को सम्मिलित करते हुए अमूर्त संपत्ति अंतरित किया जाना;
 (ग) कोई लिखत, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य सक्षम प्राधिकारी की डिक्री या अंतिम आदेश, जहां तक ऐसी लिखत, डिक्री, या आदेश स्वयं संपत्ति में अधिकारों को सृष्ट, घोषित, समनुदेशित, सीमित या निर्वापित करने के लिए तात्पर्यित हो;
 (घ) कार्पोरेट री-स्ट्रक्चरिंग से संबंधित कोई लिखत या आदेश;
 (ङ) पृथक् और अंतरणीय सांपत्तिक हितों को गठित करने वाले निम्नलिखित अधिकारों को अंतरित करने वाली कोई लिखत-
 (i) वायु अधिकार,
 (ii) विकास अधिकार, या
 (iii) उप-सतह या भूमिगत अधिकार;”;
- (ii) विद्यमान खण्ड (xi) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (xii) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
 “(xi-क) “कार्पोरेट री-स्ट्रक्चरिंग” से, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) की धारा 232, 233 या 234, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 44-क या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 31) की धारा 31 के अधीन अंतरण को सम्मिलित करते हुए, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, किसी उपक्रम या उसके भाग के अंतरण द्वारा कोई ठहराव, समझौता, विलयन, समामेलन, डीमर्जर, किसी उपक्रम का चालू समुत्थान के रूप में स्लम्प सेल या किसी निगमित निकाय का पुनर्गठन अभिप्रेत है;”;
- (iii) विद्यमान खण्ड (xvii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(xvii) “भारत” से भारत का राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;”;

- (iv) विद्यमान खण्ड (xx) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (xxi) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(xx-क) “अमूर्त संपत्ति” से ऐसी संपत्ति अभिप्रेत है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है किंतु जो मौद्रिक मूल्य रखने वाले विधिक अधिकारों, वाणिज्यिक लाभों, वित्तीय हितों, या बौद्धिक सृजनों का प्रतिनिधित्व करती है;”;

- (v) विद्यमान खण्ड (xxxiii-क) को (xxxiii-ख) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा;
(vi) विद्यमान खण्ड (xxxiii) के पश्चात् और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खण्ड (xxxiii-ख) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(xxxiii-क) “राज्य में प्राप्त” से राजस्थान राज्य से बाहर निष्पादित किसी लिखत के संबंध में, राज्य में ऐसी लिखत को, चाहे मूल रूप में या प्रतिलिपि में, किसी प्राधिकारी के समक्ष इस पर कार्रवाई किये जाने, प्रवर्तित किये जाने, निर्भर करने, या अन्यथा राज्य के भीतर वैध रूप से प्रभावी बनाये जाने के आशय से प्रस्तुत किया जाना, राज्य में लाना या पारेषित करना अभिप्रेत है, और इसमें कोई ऐसा अन्य मामला जहां ऐसी लिखत का राज्य में इस प्रकार उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना ईप्सित है, सम्मिलित है;”।

4. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 3 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 3 में, उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (ख) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2) से पूर्व, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण.- इस बात के होते हुए भी कि राज्य के बाहर, शेर जारी, आबंटित, रद्द किये गये हैं या उनका प्रतिफल संदत्त किया गया है, कार्पोरेट री-स्ट्रक्चरिंग से संबंधित कोई लिखत, राजस्थान राज्य में किये गये या किये जाने वाले किसी मामले या बात से संबंधित समझी जायेगी, जहां-

- (i) कोई संपत्ति, उपक्रम, कारबार, आस्ति या अंतरक इकाई का हित राजस्थान राज्य में अवस्थित है; या
(ii) ऐसी लिखत राजस्थान राज्य में प्राप्त की जाती है।”।

5. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 3-क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 3-क की उप-धारा (1) में,-

- (i) विद्यमान अभिव्यक्ति “दस प्रतिशत” के स्थान पर अभिव्यक्ति “तेरह प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
(ii) अन्त में आये विद्यमान विराम चिन्ह “।” के स्थान पर विराम चिन्ह “:” प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

“परन्तु दस लाख रूपये तक बाजार मूल्य या प्रतिफल वाली या मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य नहीं होने वाली लिखतों की दशा में, दस प्रतिशत की दर पर अधिभार से प्रभार्य होंगी।”।

6. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 21 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 21 में,-

- (i) विद्यमान शीर्षक में आयी अभिव्यक्ति “लिखतों की” के स्थान पर अभिव्यक्ति “स्थावर संपत्ति की लिखतों की” प्रतिस्थापित की जायेगी;
(ii) विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(1) जहां स्थावर संपत्ति से संबंधित कोई भी लिखत राजस्थान राज्य से भिन्न, भारत के किसी भी भाग में रजिस्ट्रीकृत है और ऐसी लिखत राजस्थान राज्य में स्थित किसी भी स्थावर संपत्ति से पूर्णतः या भागतः संबंधित है वहां ऐसी लिखत की प्रति, जब राजस्थान

राज्य में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 64, 65 या 66 के अधीन प्राप्त हो, उस शुल्क के अन्तर से प्रभारित किये जाने के दायित्वाधीन होगी जो मूल लिखत का है।”;

- (iii) उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “धारा 35 और 51” के स्थान पर अभिव्यक्ति “धारा 37, 51 और 53” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (iv) उप-धारा (5) में, विद्यमान विराम चिह्न “।” के स्थान पर विराम चिह्न “:” प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित उप-धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह कि इस धारा की कोई भी बात कार्पोरेट री-स्ट्रक्चरिंग पर लागू नहीं होगी, और इसके संबंध में शुल्क की प्रभार्यता और संगणना अनन्य रूप से धारा 3 और अनुसूची द्वारा शासित होंगे।”।

7. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 29 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 29 में,-

- (i) विद्यमान प्रथम परन्तुक हटाया जायेगा;
- (ii) विद्यमान द्वितीयक परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति “परन्तु यह और कि” के स्थान पर अभिव्यक्ति “परन्तु यह कि” प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 37 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 37 में,-

- (i) उप-धारा (2) के परन्तुक के विद्यमान खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) के अध्याय 9 या अध्याय 10 के भाग घ” के स्थान पर अभिव्यक्ति “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 46) के अध्याय 10 या अध्याय 11 के भाग घ” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) विद्यमान उप-धारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-
“(6) इस धारा के अधीन की जांचों के प्रयोजनार्थ कलक्टर को, उन्हीं साधनों से और यथा-संभव उसी रीति से, जो सिविल न्यायालय के मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन उपबंधित है, लिखत के पक्षकारों या उनमें से किसी को भी सम्मिलित करते हुए साक्षियों को समन करने और उनकी हाजिरी प्रवर्तित कराने के लिए और दस्तावेजों को पेश करने के लिए विवश करने की शक्ति होगी।”।

9. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 56-क का संशोधन.- विद्यमान धारा 56-क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“56-क. शुल्कों और शास्तियों की वसूली का विशेष ढंग.- (1) धारा 56 या किसी विधि या संविदा में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कलक्टर या कलक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी किसी भी समय या समय-समय पर, लिखित नोटिस, जिसकी एक प्रति उस व्यक्ति को, जिससे किसी लिखत पर शुल्क शोध्य है, उसके अंतिम ज्ञात पते पर भेजी जायेगी, के द्वारा-

- (क) बैंक या वित्तीय संस्था को सम्मिलित करते हुए, किसी भी व्यक्ति से, जिससे कोई भी रकम ऐसे किसी व्यक्ति को देय हो या देय हो जाये, जिसे इस धारा में इसके पश्चात् व्यतिक्रमी कहा गया है, जो कलक्टर द्वारा मांग किये जाने पर शुल्क, ब्याज या शास्ति का संदाय करने में विफल रहा है; या
- (ख) बैंक या वित्तीय संस्था को सम्मिलित करते हुए, ऐसे किसी व्यक्ति से, जो ऐसे व्यतिक्रमी के लिए या उसके मद्दे कोई भी धन धारित करता हो या तत्पश्चात् धारित करे,

इतने धन का, जो इस अध्याय या अध्याय 3 के अधीन शुल्क, ब्याज या शास्ति की मांग के संबंध में व्यतिक्रमी से शोध्य रकम का संदाय करने के लिए पर्याप्त हो, या जब वह उस मांग के बराबर या उससे कम हो तो संपूर्ण धन का, सरकारी खजाने या राज्य सरकार की ओर से धन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत बैंक में, इस धारा के अधीन जारी किये गये नोटिस में विनिर्दिष्ट रीति से या तो तत्काल या उससे धन के शोध्य होने या उसके द्वारा धारित किये जाने पर, नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के (जो धन के शोध्य होने या धारित किये जाने के पूर्व का नहीं हो) भीतर-भीतर संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, किसी व्यतिक्रमी को देय रकम या किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यतिक्रमी के लिए या उसके मद्दे धारित धन की संगणना ऐसे दावों, यदि कोई हों, को ध्यान में रखते हुए की जायेगी जो ऐसे व्यतिक्रमी द्वारा ऐसे व्यक्ति को संदाय के लिए विधिपूर्ण रूप से देय हो गये हों।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नोटिस जारी करने वाला प्राधिकारी, किसी भी समय, या समय-समय पर, ऐसे किसी नोटिस को संशोधित या प्रतिसंहत कर सकेगा या इस नोटिस के अनुसरण में कोई भी संदाय करने के लिए समय बढ़ा सकेगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन जारी किये गये नोटिस के अनुपालन में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी संदाय व्यतिक्रमी के प्राधिकार के अधीन संदाय किया हुआ समझा जायेगा और ऐसे संदाय के लिए खजाना रसीद या बैंक चालान ऐसे व्यक्ति के दायित्व के, रसीद या चालान में विनिर्दिष्ट रकम की सीमा तक, उन्मोचन का अच्छा और पर्याप्त सबूत होगा।

(4) कोई भी व्यक्ति, जो उप-धारा (1) के अधीन जारी किये गये नोटिस की उस पर तामील होने के पश्चात्, व्यतिक्रमी को संदाय करके या अन्यथा किसी भी दायित्व से उन्मोचित होता है, उन्मोचित दायित्व या मांग की रकम, इनमें से जो भी कम हो, की सीमा तक राज्य सरकार के प्रति वैयक्तिक रूप से दायी होगा।

(5) ऐसी कोई रकम या धन, जिसका उप-धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति से संदाय करने की अपेक्षा की जाती है या जिसके लिए वह उप-धारा (4) के अधीन राज्य सरकार के प्रति वैयक्तिक रूप से दायी है, यदि वह असंदत्त रह जाता है तो इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार वैसे ही वसूलीय होगा मानो कि वह कोई व्यतिक्रमी हो।

(6) इस धारा के उपबंध ऐसी किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे, जो किसी व्यतिक्रमी से शोध्य शुल्क की बकाया, ब्याज या शास्ति, यदि कोई हो, की वसूली के लिए की जाये।”।

10. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 85 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) में, आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "या तहसीलदार से अनिम्न रैंक के" हटायी जायेगी।

11. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(i) अनुच्छेद 21 में,-

(क) विद्यमान खण्ड (ii) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (iii) से पूर्व, निम्नलिखित नये खण्ड अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

(ii-क) यदि अमूर्त संपत्ति से संबंधित हो;	प्रतिफल रकम का छह प्रतिशत।
(ii-ख) यदि किसी भी संयोजन में स्थावर, जंगम और अमूर्त संपत्तियों को अंतर्वलित करते हुए संयुक्त अंतरण से संबंधित हो	स्थावर, जंगम और, यथास्थिति, अमूर्त संपत्ति के बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम, जो भी अधिक हो, का छह प्रतिशत।

(ख) स्तंभ सं. 1 के अधीन विद्यमान खण्ड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iii) यदि कार्पोरेट री-स्ट्रक्चरिंग की लिखत से संबंधित हो";

(ii) विद्यमान अनुच्छेद 54 के पश्चात् और विद्यमान अनुच्छेद 55 से पूर्व, निम्नलिखित नया अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

54.-क. राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16) की धारा 12 के अधीन यथाउपबंधित सहकारी सोसाइटियों की आस्तियों और दायित्वों का अंतरण, विभाजन और समामेलन,-	
(1) जहां स्थावर संपत्ति ऐसे अंतरण, विभाजन या समामेलन पर परिणामी सोसाइटी में निहित होती है;	स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्य का 0.5 प्रतिशत।
(2) किसी भी अन्य मामले में, जो खण्ड (1) में सम्मिलित नहीं है।	पांच सौ रुपये।

अध्याय 3

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

12. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के विद्यमान खण्ड (38) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(38) “कर बोर्ड” से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 4 के अधीन स्थापित ‘बोर्ड’ अभिप्रेत है;”

13. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 88 का हटाया जाना.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 88 हटायी जायेगी।

अध्याय 4

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में संशोधन

14. 1950 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम सं. 2), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 के विद्यमान खण्ड (1) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (2) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(1-क) “बोर्ड” से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 4 के अधीन स्थापित बोर्ड अभिप्रेत है; ”।

15. 1950 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 9-क का संशोधन.- धारा 9-क में,-

(i) मूल अधिनियम की धारा 9-क की उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ख) इस अधिनियम के अधीन आबकारी आयुक्त द्वारा अपील पर पारित आदेश से भिन्न किसी आदेश से, धारा 3 की उप-धारा (1-क) के अधीन स्थापित बोर्ड की खण्डपीठ को: ”;

(ii) उप-धारा (3) और (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ” के स्थान पर अभिव्यक्ति “बोर्ड की खण्डपीठ” प्रतिस्थापित की जाएगी।

अध्याय 5

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधन

16. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4 का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 की उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (क) में, विद्यमान परन्तुक के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न “;” के स्थान पर विराम चिह्न “:” प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह और कि परिवहन यान का ऐसा वर्ग, जो राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, का स्वामी या उसका कब्जा या नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति ऐसी दरों पर एकबारीय कर

का संदाय करने का विकल्प चुन सकेगा, जो राज्य सरकार द्वारा राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, जो यान की लागत के 50% से अधिक नहीं होगा।”

17. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4-घ का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4-घ की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(1) इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन उद्गृहीत कर के अतिरिक्त, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न अध्यापयों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, सडक पर उपयोग हेतु उपयुक्त ऐसे यानों पर, यान की लागत के 20% से अनधिक ऐसी दरों पर और ऐसे समय पर, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, “ग्रीन कर” के नाम से एक उपकर उद्गृहीत और संगृहीत किया जायेगा।”।

18. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 6 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “ऐसी शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, जो शोध्य कर की रकम के चार गुने से कम नहीं होगी।” के स्थान पर अभिव्यक्ति “ऐसी शास्ति, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, का संदाय करने का दायी होगा, जो शोध्य कर की रकम के बीस गुना से अधिक नहीं होगी।” प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 6

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में संशोधन

19. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 के अध्याय-2 के शीर्षक का संशोधन.- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, के अध्याय-2 के विद्यमान शीर्षक “राजस्व बोर्ड” के स्थान पर “राजस्थान राजस्व और कर बोर्ड” प्रतिस्थापित किया जायेगा।

20. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “एक राजस्व बोर्ड” के स्थान पर अभिव्यक्ति “राजस्थान राजस्व और कर बोर्ड” प्रतिस्थापित की जायेगी।

21. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 6 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 6 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “राजस्व बोर्ड” के स्थान पर अभिव्यक्ति “राजस्थान राजस्व और कर बोर्ड” प्रतिस्थापित की जायेगी।

राघवेन्द्र काछवाल,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, March 25, 2026

No. F. 2(17)Vidhi/2/2026.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Vitti Adhiniyam, 2026 (2026 Ka Adhiniyam Sankhyank 3):-

(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2026
(Act No. 3 of 2026)

(Received the assent of the Governor on the 24th day of March, 2026)

An

Act

further to amend the Rajasthan Stamp Act, 1998, the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, the Rajasthan Excise Act, 1950, the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 and the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2026-27.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2026.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.- In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clauses 3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15,16,17 and 18 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

CHAPTER II
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

3. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 14 of 1999.-In section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

(i) for the existing clause (xi), the following shall be substituted, namely:-

“(xi) “Conveyance” means an instrument, by whatever name called, which effects or evidences an *inter vivos* transfer of property, whether movable, immovable, intangible, or of any estate, right, title, interest, or beneficial interest therein, from one person to another and which is not otherwise specifically provided for by the Schedule, and includes-

(a) a conveyance on sale;

(b) any instrument by which intangible property, including actionable claims, intellectual property rights, business rights, or any other incorporeal rights, is transferred;

- (c) any instrument, decree or final order of a court, tribunal, or other competent authority in so far as such instrument, decree, or order itself purports to create, declare, assign, limit, or extinguish rights in property;
- (d) any instrument or order relating to Corporate Restructuring;
- (e) any instrument transferring the following rights constituting separate and transferable proprietary interests-
- (i) air rights,
- (ii) development rights, or
- (iii) sub-surface or underground rights;”;
- (ii) after the existing clause (xi) and before the existing clause (xii), the following new clause shall be inserted, namely:-
- “(xi-a) “Corporate Restructuring” means any arrangement, compromise, merger, amalgamation, demerger by transfer of an undertaking or part thereof, slump sale or transfer of an undertaking as a going concern, or re-construction of a body corporate carried out under any law for the time being in force, including under the sections 232, 233 or 234 of the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013), section 44-A of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No. 10 of 1949) or section 31 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Central Act No. 31 of 2016);”;
- (iii) for the existing clause (xvii) the following shall be substituted, namely:-
- “(xvii) “India” means the territory of India;”;
- (iv) after the existing clause (xx) and before the existing clause (xxi), the following new clause shall be inserted, namely:-
- “(xx-a) “Intangible property” means any property which does not have a physical form but represents legal rights, commercial advantages, financial interests, or intellectual creations having monetary value;”;
- (v) the existing clause “(xxxiii-a)” shall be renumbered as “(xxxiii-b)”.;
- (vi) after the existing clause (xxxiii) and before the clause (xxxiii-b) so renumbered, the following new clause shall be inserted, namely:-
- “(xxxiii-a) “Received in the State”, in relation to an instrument executed outside the State of Rajasthan, means the bringing or transmission of such instrument into the State, whether in original or in copy, with the intention of its being acted upon, enforced, relied upon, produced before any authority, or otherwise made legally operative within the State, and includes any other case where such instrument is so used or sought to be used within the State;”.

4. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 3 of the principal Act, after the existing clause (b) of sub-section (1) and before the existing sub-section (2), the following explanation shall be inserted, namely:-

“**Explanation.-** An instrument relating to Corporate Restructuring shall be deemed to relate to a matter or thing done or to be done in the State of Rajasthan where-

- (i) any property, undertaking, business, asset or interest of the transferor entity is situated in Rajasthan; or
- (ii) such instrument is received in the State of Rajasthan,

notwithstanding that the shares are issued, allotted, cancelled or their consideration is paid outside the State.”.

5. Amendment of section 3-A, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In sub-section (1) of section 3-A of the principal Act,-

- (i) for the existing expression "10 per cent" the expression "13 per cent" shall be substituted;
- (ii) for the existing punctuation mark “.” appearing at the end, the punctuation mark “:” shall be substituted and after sub-section (1) so amended, the following proviso shall be added, namely:-

“Provided that in case of the instruments having market value or consideration upto rupees 10 lakhs or not chargeable with *ad valorem* duty, shall be chargeable with surcharge at the rate of 10 per cent.”.

6. Amendment of section 21, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 21 of the principal Act,-

- (i) for the existing expression in the heading "**Instruments**", the expression "**instruments of immovable properties**" shall be substituted;
- (ii) for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Where any instrument relating to immovable property is registered in any part of India other than the State of Rajasthan and such instrument relates, wholly or partly to any immovable property situate in the State of Rajasthan, the copy of such instrument shall, when received in the State of Rajasthan under sections 64, 65 or 66 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), be liable to be charged with the difference of duty as on the original instrument.";

- (iii) in sub-section (4), for the existing expression "sections 35 and 51", the expression "sections 37, 51 and 53" shall be substituted;
- (iv) in sub-section (5), for the existing punctuation mark ".", the punctuation mark ":" shall be substituted and after sub-section (5) so amended the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that nothing in this section shall apply to a Corporate Restructuring, and the chargeability and computation of duty in respect thereof shall be governed exclusively by section 3 and the Schedule.".

7. Amendment of section 29, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 29 of the principal Act,-

- (i) the existing first proviso shall be deleted.
- (ii) in the existing second proviso, for the existing expression "Provided further that", the expression "Provided that" shall be substituted.

8. Amendment of section 37, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 37 of the principal Act,-

- (i) in the existing clause (a) of the proviso of sub-section (2) for the existing expression "Chapter IX or Part D of Chapter X of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974)", the expression "Chapter X or Part D of Chapter XI of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act No. 46 of 2023)" shall be substituted;

- (ii) after the existing sub-section (5), the following new sub-section shall be added, namely:-

"(6) For the purpose of inquiries under this section, the Collector shall have power to summon and enforce the attendance of witnesses, including the parties to the instrument or any of them, and to compel the production of documents by the same means, and so far as may be in the same manner, as is provided in the case of civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908)."

9. Amendment of section 56-A, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- For the existing section 56-A, the following shall be substituted, namely:-

"56-A. Special mode of recovery of duties and penalties.- (1) Notwithstanding anything contained in section 56 or any law or contract to the contrary, the Collector or any other officer authorised by the Collector, may, at any time or from time to time by notice in writing, a copy of which shall be sent to the person from whom duty on an instrument is due, at his last known address, require, –

- (a) any person including bank or financial institution from whom any amount is due or may become due to the person who has failed to pay duty, interest or penalty on demand by the Collector hereinafter referred to as defaulter in this section; or
- (b) any person including bank or financial institution who holds or may subsequently hold any money for or on account of such defaulter-

to pay into the Government treasury or the bank authorised to receive money on behalf of the State Government, in the manner specified in the notice issued under this section either forthwith or upon the money becoming due from him or being held by him, within the time specified in the notice (not being before the money becomes due or it is held), so much of the money as is sufficient to pay the amount due from the defaulter in respect of the demand of duty, interest or penalty under this Chapter or under Chapter III, or the whole of the money when it is equal to or less than that demand.

Explanation.- For the purpose of this sub-section, the amount due to the defaulter or money held for or on account of such defaulter by any person shall be computed after taking into account such claims, if any, as may have fallen legally due for payment by such defaulter to such person.

(2) The authority issuing a notice under sub-section (1) may at any time, or from time to time, amend or revoke any such notice or extend the time for making any payment in pursuance of this notice.

(3) Any person making any payment in compliance with a notice issued under sub-section (1) shall be deemed to have made the payment under the authority of the defaulter and the treasury receipt or the *challan* of the bank for such payment shall

constitute a good and sufficient proof of discharge of the liability of such person to the extent of the amount specified in the receipt or the *challan*.

(4) Any person, who discharges any liability by making payment to the defaulter or otherwise, after service on him of the notice issued under sub-section (1), shall be personally liable to the State Government to the extent of the liability discharged or the amount of demand, whichever is less.

(5) Any amount or money which a person is required to pay under sub-section (1) or for which he is personally liable to the State Government under sub-section (4) shall, if it remains unpaid, be recoverable in accordance with the provisions of this Chapter as if he is a defaulter.

(6) The provisions of this section shall be without prejudice to any action that may be taken for the recovery of arrears of duty, interest or penalty, if any, due from a defaulter."

10. Amendment of section 85, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In sub-section (1) of section 85 of the principal Act, the existing expression "not below the rank of Tehsildar", shall be deleted.

11. Amendment of Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In the Schedule of the principal Act,-

(i) in Article 21,-

(a) after the existing clause (ii) and before the existing clause (iii), the following new clauses shall be inserted, namely:-

(ii-a) If relating to intangible property;	Six percent of the consideration amount.
(ii-b) If relating to joint transfer involving immovable, movable and intangible properties in any combination	Six percent of the market value of the immovable, movable and intangible property, as the case may be, or consideration amount, whichever is higher.

(b) the existing clause (iii) appearing under Column No 1, shall be substituted by the following, namely:-

“(iii) if relating to the instrument of Corporate Restructuring”;

(ii) after the existing Article 54 and before the existing Article 55, the following new Article shall be inserted, namely:-

54-A. Transfer of assets and liabilities, division and amalgamation of co-operative societies as provided under section 12 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 (Act No. 16 of 2002),-	
(1) Where immovable property vests	0.5 percent on the market

in the resultant society on such transfer, division or amalgamation;	value of the immovable property.	"
(2) In any other case, not included in clause (1).	Five hundred rupees.	

CHAPTER III

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

12. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- For the existing clause (38) of section 2 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(38) "Tax Board" means the 'Board' established under section 4 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956);".

13. Deletion of section 88, Rajasthan Act No. 4 of 2003.-The existing section 88 of the principal Act shall be deleted.

CHAPTER IV

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN EXCISE ACT, 1950

14. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 2 of 1950.- After the existing clause (1) and before the existing clause (2) of section 3 of the Rajasthan Excise Act, 1950 (Act No. 2 of 1950), hereinafter referred to as the principal Act, the following new clause shall be inserted, namely:-

"(1-A) "Board" means the board established under section 4 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956);".

15. Amendment of section 9-A, Rajasthan Act No. 2 of 1950.- In Section 9-A,-

- (i) for the existing clause (b) of sub-section (1) of section 9-A of the principal Act, the following clause shall be substituted, namely:-
"(b) "to the Division Bench of the Board established under sub-section (1-A) of section 3, from any order passed by the Excise Commissioner under this Act otherwise than on appeal:";
- (ii) in sub-section (3) and (4), for the existing expression "the Division Bench of the Rajasthan Tax Board", the expression "the Division Bench of the Board" shall be substituted.

CHAPTER V

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1951

16. Amendment of section 4, Rajasthan Act No.11 of 1951.- In clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in the existing proviso, for the existing punctuation mark ";" appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after the proviso so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided further that the owner or person having possession or control of such class of transport vehicle, as may be specified by notification in the Official Gazette, may opt to pay one time tax at such rates as may be specified by the State Government, by notification in the Official Gazette, which shall not exceed 50% of the cost of the vehicle."

17. Amendment of section 4-D, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- For the existing sub-section (1) of section 4-D of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(1) There shall be levied and collected a cess called "green tax", in addition to the tax levied under section 4 of the Act, on such vehicles suitable for use on road at such rates, not exceeding 20% of the cost of the vehicle and at such times as may be specified by the State Government by notification in the Official Gazette, for the purpose of implementation of various measures to control air pollution."

18. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- In sub-section (3) of section 6 of the principal Act, for the existing expression "a penalty which shall not be less than four times of the amount of tax due" the expression "a penalty as may be specified by the State Government by notification in the Official Gazette, which shall not exceed twenty times of the amount of tax due" shall be substituted.

CHAPTER VI

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956

19. Amendment of title of the CHAPTER II., Rajasthan Act No. 15 of 1956.- For the existing title "*The Board of Revenue*" of the CHAPTER II of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), hereinafter referred to as the principal Act, "*The Rajasthan Revenue and Tax Board*" shall be substituted.

20. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 15 of 1956.- In sub-section (1) of section 4 of the principal Act, for the existing expression "a Board of Revenue", the expression "Rajasthan Revenue and Tax Board" shall be substituted.

21. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 15 of 1956.- In section 6 of the principal Act, for the existing expression "the Board of Revenue", the expression "the Rajasthan Revenue and Tax Board" shall be substituted.

राघवेन्द्र काछवाल,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।